UGC-CARE Listed ISSN: 2349-4654

नाद-नर्तन जर्नल ऑफ डांस एण्ड म्यूजिक वर्ष : 10, अंक : 1, जून 2022

भारतीय संगीत के मूर्त संसाधनों का संरक्षण

रूमा चक्रवर्ती

शोधार्थी, संगीत विभाग, पटना विश्वविद्यालय

Paper received on : December 9, April 22, May 05, May 8, Accepted on May 13, 2022

सार-संक्षेप

भारतीय संगीत की परम्परा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है और प्रारंभ से ही यह अनिवार्य रूप से मौखिक रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों व पुस्तकों ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण स्त्रोत की भूमिका निभाई है। भारतीय संगीत में मूर्त संसाधन का तात्पर्य उन परिसम्पत्तियों के वर्ग से हैं जिसे भौतिक रूप से देखा अथवा स्पर्श किया जा सकता है। तकनीकी विकास ने भारतीय संगीत के मूर्त संसाधनों के संरक्षण के लिए कई द्वार खोल दिए है। भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आज इ-कॉन्टेन्ट के रूप में लम्बे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम स्थान है–'अभिलेखागार'। इस शोध-पत्र पर संगीत के मूर्त संसाधनों के संरक्षण हेतु 'अभिलेखागार व दस्तावेजीकरण' के भूमिका का उल्लेख किया है।

मुख्य शब्द : कला, अभिलेखागार, माइक्रोफिल्मिंग, दस्तावेजीकरण, मूर्त संसाधन

शोध-पत्र

कला शब्द मानव जीवन में इतना घुला-मिला है कि कला के बिना मानव जीवन की संभावना शून्य है। भारतीय परम्परा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। यह एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। मनोरंजन, सौन्दर्य, उल्लास, और न जाने कितने तत्वों से यह भरपूर है, जिसमें मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कार्य को चतुराईपूर्वक, कुशलता के साथ सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसे 'कला' कहते है। प्रत्येक कला अपने आंतरिक रूप में तीन बातों को लेकर चलती है–सौन्दर्य, संदेश एवं रस। सर्वप्रथम प्रत्येक कला का उद्देश्य सौन्दर्य वृद्धि करना होता है, दूसरा प्रत्येक कला में कोई न कोई संदेश अवश्य छिपा रहता है एवं तीसरी यह कि कला का सम्बन्ध रस उत्पन्न करने से जोड़ा जाता है। कला को सिद्ध तभी माना जाता है जब उससे केवल कलाकार के मन में ही नहीं अपितु श्रोताओं या दर्शकों के मन में भी रस की सृष्टि हो।

कला शब्द को इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है, ''प्राकृतिक सौन्दर्य ही आनंद स्वरूप स्वच्छन्दतापूर्ण भावों की साम्यमयी अभिव्यक्ति ही कला है।[1] ग्रंथों में कई प्रकार के कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता हैं परन्तु मुख्य रूप से विद्वानों ने यह कलाएँ 64 बताई है। परन्तु सभी कलाएँ रस की प्राप्ति में सक्षम नहीं है। अतः इन 64 कलाओं को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है–उपयोगी कलाएँ एवं ललित कलाएँ। महर्षि पाणिनि ने इसे 'कारू' व 'चारू' के नाम से संबोधित किया है। 'कारू' का सम्बन्ध उपयोगिता से था और 'चारू' का केवल सुन्दरता से। कला को विभिन्न विद्वानों ने कई वर्गों में वर्गीकृत किया है। उन्हीं वर्गीकरणों में से एक है–मंचन कलाएँ तथा दृश्य कलाएँ।

- मंचन कलाएँ (निष्पादन कलाएँ/प्रदर्शन कलाएँ) वे कलाएँ हैं जिसमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव-भंगिमा, इत्यादि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करते है। इसके अंतर्गत कई कलाएँ मौजूद है, इन सब में साम्यता यह है कि इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है।[2] मंचन कला या निष्पादन कला के अन्तर्गत मुख्यतः गीत-संगीत, नृत्य, रंगमंच व इससे संबंधित कलाएँ आती है।
- दृश्य कलाएँ वे हैं, जिसमें कलाकार अपनी कला का उपयोग कर भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है। इसके अन्तर्गत रेखाचित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इत्यादि आते हैं।

मंचन एवं दृश्य कलाएँ–दोनों को ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग समझा जाता है तथा सांस्कृतिक विरासत को हम मूर्त एवं अमूर्त संसाधन/सम्पत्ति के रूप में व्यक्त करते है। मूर्त संसाधन/सम्पत्ति भौतिक रूप से मौजूद परिसंपत्तियों का वर्ग है, जिसे देखा अथवा स्पर्श किया जा सकता है। दूसरी ओर, अमूर्त संसाधन/सम्पत्ति उन सम्पत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, परन्तु उसे अनुभव किया जा सकता

है। युनेस्को ने मूर्त व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है–

- मूर्त सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य ऐसी कलाकृतियों की कला का संरक्षण तथा हस्तांतरण है जो किसी समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो। इसके अन्तर्गत कलाकारों की रचनाएँ, निर्मित धरोहरें, मनुष्यों द्वारा बनाए गए सृजनात्मक मूर्त निर्मिति (जैसे- वाद्य, आभूषण, आदि), जिनका समाज में कोई सांस्कृतिक महत्व हो।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य–परम्परा, प्रतिनिधित्व, कौशल, ज्ञान, समुदाय, कलाकार, प्रदर्शन कला, इत्यादि से है।

भारत सरकार द्वारा 'संस्कृति मंत्रालय' नामक एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जहाँ भारतीय मूर्त व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है।

संगीत एक ऐसी ललित कला है, जिसके मूर्त तथा अमूर्त दोनों रूप पाए जाते हैं। हालांकि हिन्दुस्तानी संगीत परम्परा अनिवार्य रूप से मौखिक रही है, इसके साथ ही विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों व पुस्तकों ने लगातार पीढ़ीयों के लिए संदर्भ के स्त्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्वानों द्वारा लिखित ये सभी टिप्पणियाँ, संस्मरण, समालोचनाएँ, इत्यादि का संग्रह देश के विभिन्न हिस्सों में कई भाषाओं जैसे–संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिन्दी, मराठी, बंगाली, इत्यादि में उपलब्ध है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो पहले के रुझानों को प्रमाणित करते हैं अथवा पिछले प्रदर्शनों की स्त्रोत सामग्री है। 19वीं शताब्दी में प्रकाशित मुखर रचनाओं के संकलन या 20वीं शताब्दी में उपलब्ध कराई गई प्रसिद्ध स्वर एवं वाद्य रचनाओं के समान संग्रह इसके उदाहरण हैं। ऐसे अन्य प्रकाशन हैं जो उस समय के संगीतकारों के जीवन और कार्य का विवरण और विश्लेषण प्रदान करते है। वे पिछले प्रदर्शन प्रथाओं, सैद्धान्तिक ढाँचें, और सांस्कृतिक संदर्भो को समझने में मदद करते हैं, जो सभी परम्परा की सीमाओं का विस्तार करने में आने वाली पीढ़ीयों को उपलब्ध कराते हैं। ज्यादातर मामलों में विद्वानों ने इन प्रकाशनों का निर्माण किया, लेकिन कलाकारों ने भी समय-समय पर इस गतिविधि में भाग लिया।

संगीत के मूर्त संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न दो विषयों को केन्द्रित करते हुए, मूल विषय पर चर्चा किया जा रहा है–

- अभिलेखागार
- दस्तावेजीकरण एवं अनुसंधान

अभिलेखागार

अगर बात करें अभिगम्यता की, तो यह हमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटोग्राफिक और अन्य प्रारूपों में सामग्री के भंडार के रूप में 'अभिलेखागार' की भूमिका में लाता है। इन अभिलेखीय संग्रहों में लाइव कॉन्सर्ट व फिल्ड रिकॉर्डिंग, व्यक्तिगत यादगार और वाणिज्यिक प्रकाशन, साथ ही अन्य स्त्रोत शामिल हो सकते हैं।

अभिलेखों का संरक्षण निम्न संदर्भ में किया जा सकता है–

- ऐतिहासिक प्रयोग
- शैक्षणिक प्रयोग
- वंषावली हेतु प्रयोग
- व्यवसायिक प्रयोग
- सांस्कृतिक प्रयोग

संरक्षण और प्रसारण–संग्रह की दो परिभाषित विशेषताएँ हैं। इसके संस्थागत रूप की स्थापना से बहुत पहले भारतीय मौखिक परम्परा में गुरुओं द्वारा प्रदर्शित की गई थी। लेकिन जब गुरु ज्ञान के भंडार थे, उनके कार्य वस्तुनिष्ठ नहीं थे। ज्ञान की प्राप्ति और उसका हस्तांतरण दोनों उन के द्वारा किए गए विकल्पों पर आधारित थे। दूसरी ओर, संस्थागत अभिलेखागार मूर्त संसाधनों के अवैयक्तिक, वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित भण्डार का एक स्त्रोत है, जो अतीत और वर्तमान के ज्ञान को संरक्षित और भावी पीढ़ी को प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करते है। मौजूदा अभिलेखीय नीतियों का मार्गदर्शन करने वाले मानकों को समझने के लिए जीवित और संस्थागत भंडारों के बीच समानताओं व असमानताओं की सराहना करना महत्वपूर्ण है। दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्यों के रिकॉर्ड का संरक्षक है। 11 मार्च, 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अभिलेखागार है। इसमें रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक रिकॉर्ड, निजी कागजात, प्राच्य रिकॉर्ड, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड और माइक्रोफिल्म का एक विशाल कोश है, जो विद्वानों-प्रशासकों और अभिलेखागार के उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी का एक अमूल्य स्त्रोत है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार का एक और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। इसके अलावा भुवनेश्वर, जयपुर और पुदुचेरी में भी तीन रिकॉर्ड केन्द्र स्थित है।[3]

गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित 'ओर्काइव्स एंड रिसर्च सेन्टर फॉर एथनोम्यूजिकोलॉजी' (ए.आर.सी.ई) सबसे प्रमुख अभिलेखागारों में से एक है, जो दुनिया भर के विद्वानों द्वारा स्वेच्छा से जमा किए गए ऑडियो, वीडियो और पाठ्य स्त्रोतों का भंडार है। ए.आर.सी. ई. के संग्रह में हिन्दुस्तानी संगीत से भी जुड़े हुए कई सामग्री शामिल है। भारत और विदेशों में होस्ट किए गए कई ऑनलाइन संग्रह में हिन्दुस्तानी रिकॉर्डिंग की सुविधा है। मणिपाल सेन्टर फॉर फिलोसफी एंड ह्यूमैनिटीज, मणिपाल विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित 'द अर्चिव ऑफ इण्डियन म्युजिक' एक ऐसा ऑनलाइन आर्चिव है, जो शुरूआती व्यवसायिक रिकार्डिंग पर केन्द्रित है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने अपने लुप्त प्राय अभिलेखागार कार्यक्रम के तहत 78 आर.पी.एम.

डिस्क और पुराने रिकॉर्ड लेबल कैटलॉग को डिजीटल और सुलभ बनाया है, जिनमें से कुछ हिन्दुस्तानी संगीत से संबंधित है। भारत के बाहर कुछ विश्वविद्यालयों में हिन्दुस्तानी संगीत से संबंधित ऑडियो, वीडियो, तथा टेक्स्ट स्त्रोतों के समृद्ध संग्रह है। सिएटल, यू.एस.ए. में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और लंदन, यू.के. में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, ऐसे अभिलेखागार के उल्लेखनीय उदाहरण है। कई निजी संग्राहक भी हैं जिन्होंने समय के साथ ऑडियो और वीडियो सामग्री प्राप्त की है, जो मूल रूप से विभिन्न प्रारूपों में दर्ज की गई थी। पुणे में डॉ. अशोक द. राणाडे अभिलेखागार एक निजी संग्रह के दुर्लभ मामलों में से एक है जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए एक संग्रह में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अलावे दूरदर्शन अभिलेखागार उन महान कलाकारों के कई यादगार प्रदर्शनों का एक भंडारगार है जिन्होंने भारत के समृद्ध संगीत व नृत्य विरासत में योगदान दिए हैं। आधुनिक भारत के राष्ट्रीय चैनल के रूप में दूरदर्शन भारत की उत्कृष्ट और अद्‌भूत प्रदर्शन कलाओं संबंधी अभिलेखीय सामग्री का भंडार है, जहाँ पश्चिमी समाजों की प्रतिलेख परम्परा के 'औपचारिक दस्तावेजीकरण' से स्वतंत्र रूप से बचाकर रखा गया है।[4]

भारत में ऑडियो और संगीत अभिलेखागारों से संबंधित कुछ वेबसाइट्स निम्नलिखित हैं[5]–

- कर्नाटक संगीत का संग्रह
  www.shivkumar.org/music
- ITC संगीत अनुसंधान अकादमी
  https://www.itcsra.org
- अखिल भारतीय रेडियो अभिलेखागार
  www.allindiaradio.gov.in
- दूरदर्शन अभिलेखागार
  http://www.ddindia.gov.in
- American Institute of Indian Studies/ Ethnomusicology के लिए अभिलेखागार और अनुसंधान केन्द्र
  www.indiastudies.org/ethnomusicology
- Ford Foundation द्वारा वित्त पोषित लोक संगीत परम्पराओं के अभिलेखागार रूपायन संस्थान, http://www.archiving-performance.o
- Archive of Indian Music https://archiveofindian music.org इत्यादि।

निस्संदेह, सार्वजनिक अभिलेखागार और निजी संग्रहकर्ताओं के पास स्त्रोत सामग्री है जो हमें 20वीं शताब्दी की शुरूआत में हिन्दुस्तानी संगीत के इतिहास को एक साथ जोड़ने में मदद कर सकती है। वे मूल अधिकार धारकों से उचित अनुमति के बिना अपनी सामग्री को प्रसारित करने के अपने कृत्यों की व्याख्या करने के लिए कई कारण बताते है। वे कानून की अज्ञानता का दावा करते हैं या इन समृद्ध संसाधनों को सावधानीपूर्वक हासिल करने व रखने और उनके भविष्य के रख-रखाव के लिए उनके द्वारा किए गए वर्षों के काम के लिए उन्हें वित्तीय रूप से मुआवजा देने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि वे संगीत के विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ीयों के साथ साझा करने की आवश्यकता है, न कि उसे बंद या गुप्त रखना चाहिए।

माइक्रोफिल्मिंग

राष्ट्रीय अभिलेखागारों में रखे दस्तावेजों की लम्बी आयु सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए इलेबोरेट माइक्रोफिल्मिंग कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। माइक्रोफिल्मिंग का उपयोग प्राकृतिक तौर पर पुराना पड़ने तथा स्याही हल्का होने से होनेवाली खस्ता हालत के विरुद्ध रिकॉर्डों के परिरक्षण हेतु एक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। माइक्रोफिल्मिंग से जुड़ा हुआ काम सामान्य तौर पर प्रतिलिपिकरण प्रभाग में किया जाता है। यह प्रभाग एनालॉग माइक्रोफिल्म चित्रों को डिजीटल चित्रों में भी परिवर्तित कर रहा है ताकि इन्हें विशेष रूप से तैयार अभिलेखीय सूचना प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा सके। माइक्रोफिल्म रोल्स की नेगेटिव कॉपिज के इसके सेट भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय में रखे जाते है।[6]

दस्तावेजीकरण एवं अनुसंधान

'दस्तावेजीकरण' कोई भी संचारी सामग्री है जिसका उपयोग किसी वस्तु, प्रणाली, या प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन करने, समझाने या निर्देश देने के लिए किया जाता है, जैसा कि इसके हिस्से, संयोजन, स्थापना, रखरखाव और उपयोग। दस्तावेजीकरण कागज पर, ऑनलाइन, डिजीटल या एनालॉग मीडिया जैसे–ऑडियो टेप या सीडी पर प्रदान किया जा सकता है।[7]

विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के द्वारा किए गए प्रलेखन और शोध के अलावा, कई अन्य भारतीय संस्थान और विद्वान भी विश्वविद्यालय के ढाँचे के बाहर इस गतिविधि में शामिल रहें हैं। हाल के वर्षों में प्रलेखन प्रक्रिया के लिए ऑडियो-वीडियो और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर आधारित नए प्रारूपों का उपयोग किया गया है। लेकिन कुछ कमियाँ भी है, जिन्हें नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। दस्तावेजीकरण प्रयासों को कई बार या तो उपलब्ध स्त्रोत सामग्री के बारे में सीमित ज्ञान के कारण या व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं होने के कारण दोहराया गया है। हालाँकि 'शोधगंगा' नामक वेबसाइट पर भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों से जितने शोध व प्रलेखन के कार्य हुए हैं, उन्हें अपलोड कर संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भविष्य के पीढ़ीयों को अनुसंधान के क्षेत्र में मदद मिल सकें।

अंग्रेजी में लिखनेवाले कुछ भारतीय विद्वान और संगीतकार व्यापक दर्शकों तक पहुँचने में सफल रहे हैं। भारत का अधिकांश काम केवल

हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह मुख्य रूप से एक व्यापक पाठक वर्ग प्राप्त करता है जब इसे गैर-भारतीय विद्वानों द्वारा संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है और उनके द्वारा उद्धृत किया जाता है। इस संदर्भ में अशोक द. रानाडे द्वारा किया गया पथ-प्रदर्शक कार्य अन्य लोगों से भिन्न खड़ा है। वह न केवल मराठी, अपितु अंग्रेजी भाषा के भी एक विपुल लेखक थे, जिसने उनके प्रकाशनों को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए सुलभ बनाया।

गैर-भारतीय विद्वानों का शैक्षिक उत्पादन मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रमुख प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनकी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय पहुँच होती है। नतीजतन, उनका काम क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए भी आसानी से उपलब्ध है। वे अक्सर ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं और अपने काम को कई वेबसाइटों पर उपलब्ध कराने में समान रूप से सक्रिय हैं।

गैर-भारतीय विद्वानों को विश्वविद्यालय की शर्तों का पालन करने के लिए अक्सर शोध-पत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। संभवतः उनके लिए, शोध के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध है और यह राशि भारतीय विद्वानों के लिए उपलब्ध राशि से कहीं अधिक हो सकती है। यदि यहाँ अधिक धन उपलब्ध है, तो यह क्षेत्र यात्राओं और स्त्रोत सामग्री तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा, और विद्वानों पर दबाव को काफी कम करेगा। अनुसंधान पद्धति की कठोरता, महत्वपूर्ण संकायों का विकास और भाषा के साथ सहजता–ऐसे मुद्दें हैं जिनके लिए प्रशिक्षण और आवेदन की आवश्यकता होती है, जिसे बिना धन के प्राप्त किया जा सकता है। जबकि स्वतंत्र भारतीय विद्वानों के लिए कुछ सरकारी और गैर-सरकारी स्त्रोतों से सीमित सीमा तक धन उपलब्ध हैं एवं भारत से अधिकांश शोध आउटपुट खुली सार्वजनिक पहुँच के लिए उपलब्ध नहीं है। इस तरह के काम को मूल भाषा में और साथ ही अनुवाद के माध्यम से प्रकाशित करने के नए तरीके निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद बेंगलुरू में स्थित 'इंडिया फाउन्डेशन फॉर द आर्ट्स' है, जो एक ऐसा निकाय है, जो भारत में कला में अभ्यास, अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करता है, और अकादमिक कागजात, मोनोग्राफ और फिल्मों के माध्यम से इसके द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान के प्रकाशन को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष : भारतीय संगीत के मूर्त संसाधनों के संरक्षण के लिए जिस प्रकार अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी प्रकार भारतीय संगीत का दस्तावेजीकरण व अनुसंधान भी बहुत जरूरी है, इससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर तत्काल लाभ की सुविधा प्राप्त होती है। दस्तावेजीकरण ऐसी होनी चाहिए कि उसकी उपयोगिता सदैव सिद्ध हो सकें। भारतीय संगीत का दस्तावेजीकरण बाकी विषयों जैसा तो नहीं है, परन्तु हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए ताकि भविष्य में संगीत जैसी ललित कला के मूर्त संसाधनों का संरक्षण हो सके एवं संगीत प्रेमी व जिज्ञासुओं को इसका लाभ हो सके। अभिलेखागारों में रखे दस्तावेजों की लम्बी आयु सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए इलेबोरेट माइक्रोफिल्मिंग कार्यक्रम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आनेवाले कई दषकों तक लोग दस्तावेजों का उपयोग कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बन्दोपाध्याय, एस., संगीत भाष्य, बी.आर., पृ.सं. 67
2. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/ (निष्पादन कलाएँ) accessed on 11 January, 2022, 11:400
3. https://indianculture.gov.in/hi/MoCorganization/bhaarataiya-raasataraiya-abhailaekhaagaara, accessed on 25 January, 2022, 15:30
4. ई-अभिलेख, त्रैमासिक न्यूज लैटर, अक्टूबर - दिसम्बर 2013, पृ.सं. 14 (http://nationalarchives.nic.in), accessed on 15 January, 2022, 10:00
5. वही, पृ.सं. 15
6. https://www.indiaculture.nic.in/hi/archives, accessed on 15 January, 2022, 10:02
7. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/, accessed on 11 January 2022, 11:45, (दस्तावेजीकरण) पब्लिशिंग कारपोरेशन, 461, विवेकानंद नगर, दिल्ली-110052